वर्ष 2022–23 में छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क का विवरण

क्र0 सं0	शुल्क का नाम	कक्षा 11–12	कक्षा 9–10	कक्षा 6–8	दर
1	शिक्षण शुल्क–कलावर्ग	25.00	20.00	0.00	मासिक
2	शिक्षण शुल्क–विज्ञान वर्ग	30.00	20.00	0.00	मासिक
3	मंहगाई शुल्क	1.00	1.00	0.00	मासिक
4	विकास शुल्क	8.00	5.00	0.00	मासिक
5	विज्ञान शुल्क	5.00	2.00	0.00	मासिक
6	रेडक्रास	1.00	1.00	0.00	मासिक
7	क्रीड़ा	3.00	3.00	0.00	मासिक
8	स्काउट गाइड	2.00	2.00	0.00	मासिक
9	प्रगति पत्र	2.00	2.00	0.00	वार्षिक
10	वाचनालय	10.00	10.00	0.00	वार्षिक
11	गृह परीक्षा	15.00	12.00	0.00	छमाही
12	निर्धन छात्र निधि	3.00	3.00	0.00	छमाही
13	जलपान	3.00	3.00	0.00	छमाही
14	श्रव्य दृश्य	2.00	2.00	0.00	~~मासिक~~ छमाही
15	विद्युत	2.00	2.00	0.00	छमाही
16	पत्रिका	2.00	2.00	0.00	वार्षिक
17	जलकर	6.00	6.00	0.00	छमाही
18	कम्प्यूटर	10.00	10.00	0.00	मासिक
19	भूगोल	4.00	0.00	0.00	मासिक

1	शिक्षण शुल्क (एस0टी0 /एस0सी0)	50 प्रतिशत निर्धारित शुल्क का	छात्राओं के लिये शून्य
2	मंहगाई शुल्क (एस0टी0 /एस0सी0)	,शून्य	
3	विकास शुल्क(एस0टी0 /एस0सी0)	,शून्य	

प्रेषक,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक / अका0अनु0 / 15453 / शुल्क / 2020–21 दिनांक 27 अक्टूबर, 2020

विषय– राज्य के शासकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयो में अध्ययनरत् कक्षा–9 से 12 तक के विद्यार्थियों से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनपदों द्वारा अवगत कराया गया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दृष्टिगत दिनॉक 22 मार्च, 2020 से विद्यालय बंद रहे हैं। कक्षा 10 एवं कक्षा 12 के छात्र–छात्राओं हेतु दिनांक 02 नवम्बर, 2020 से विद्यालय खोले जा रहे हैं। जनपदों द्वारा विद्यालय खुलने के उपरान्त शुल्क कब से तथा किन–किन मदों में लिये जाने के सम्बन्ध में पृच्छा की जा रही है।

शासनादेश सं0–380 / XXIV-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005 एवं शासनादेश सं0–909 / XXIV-3 / 13/02 (58)2013 दिनॉक 30 जून 2013 तथा शासनादेश सं0– 21 / xxiv-5/2016/ 2(103)/2005 दिनांक 29 मार्च, 2016 राज्य के शासकीय / अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा–9 से 12 तक के विद्यार्थियों से वर्तमान में लिए जा रहे विभिन्न शुल्कों की दरों का विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	शुल्क का नाम	कक्षा 11–12 वर्तमान दर	कक्षा 09–10 वर्तमान दर	अन्य	उपलब्ध शासनादेश
राजकोषीय शुल्क–		(धनराशि रू0 में)			
1	शिक्षण शुल्क– कला एव वाणिज्य विज्ञान	25.00 30.00	20.00 20.00	मासिक	शासनादेश सं0–909 / XXIV-3 / 13/02 (58)2013 दिनांक 30 जून 2013
2	महगाई शुल्क	1.00	1.00	मासिक	मूल शासनादेश सं0– 380 / XXIV-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005
3	विकास शुल्क	8.00	5.00	मासिक	——"——
4	छात्र पंजिका शुल्क (टी0सी0 निर्गत करने हेतु)	1.00	1.00	वार्षिक	——"——
छात्रनिधि शुल्क–					
5	विज्ञान शुल्क	5.00	2.00	मासिक	शासनादेश सं0– 21 / xxiv-5/ 2016/2 (103)/2005 दिनांक 29 मार्च, 2016
6	रेडक्रास	1.00	1.00	मासिक	शासनादेश सं0– 380 / XXIV-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005
7	क्रीडा	3.00	3.00	मासिक	शासनादेश सं0– 21 / xxiv-5/ 2016/2 (103)/2005 दिनांक 29 मार्च, 2016
8	स्काउट गाइड	2.00	2.00	मासिक	मूल शासनादेश सं0– 380 / XXIV-3/ 2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005
9	विद्युत	2.00	2.00	छमाही	——"——
10	गृह परीक्षा	15.00	12.00	छमाही	शासनादेश स0– 21 / xxiv-5/2016/2 (103)/2005 दिनाक 29 मार्च, 2016
11	निर्धन निधि	3.00	3.00	छमाही	मूल शासनादेश स0– 380 / XXIV-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005
12	जलपान	3.00	3.00	छमाही	शासनादेश सं0– 21 / xxiv-5/2016/ 2(103)/2005 दिनांक 29 मार्च, 2016
13	श्रव्य दृश्य,	2.00	2.00	छमाही	मूल शासनादेश स0– 380 / XXIV-3/ 2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005

14.	वाहन शुल्क बसों से सुविधा उपलब्ध होने पर	5.00	5.00	मासिक	
15	पत्रिका	2.00	2.00	वार्षिक	
16	प्रगति पत्र	2.00	2.00	वार्षिक	
17	पुस्तकालय / वाचनालय	10.00	10.00	वार्षिक	शासनादेश सं0- 21 / xxiv-5/2016/2 (103)/2005 दिनांक 29 मार्च, 2016 मूल शासनादेश सं0- 380 / XXIV3/ 2005 दिनाक 21 नवम्बर, 2005

उपरोक्त शासनादेशानुसार निम्नलिखित कोटि के शुल्क उनके सम्मुख वर्णित छात्र–छात्राओं के लिए निम्न दर पर शुल्क में छूट दी जाती है: –

1. शिक्षण शुल्क से समस्त बालिकाओ को 100 प्रतिशत छूट दी गई है एवं बालको से 50 प्रतिशत शिक्षण शुल्क लिया जाता है।
2. विकास अभिदान एवं महंगाई अनु0जाति / अनु0जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को 100 प्रतिशत छूट दी जाती है।

उपरोक्त के सम्बन्ध मे यह भी अवगत कराना है कि उक्त तालिका के क्रमाक 1 से 4 तक के मदों का शुल्क विद्यालयो द्वारा राजकोष मे जमा किया जाता है तथा क्रमाक 5 से 17 तक का शुल्क विद्यालय द्वारा छात्रनिधि खातो मे जमा किया जाता है, जिनका उपयोग विद्यालय द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार किया जाता है। चूँकि विद्यालय मार्च, 2020 से निरन्तर बंद होने के कारण क्रमाक 5 से 17 के विभिन्न मदो मे शुल्क लिये जाने का औचित्य प्रतीत नही होता है किन्तु मद 1 से 4 का शुल्क राजकोष में जमा किया जाता है तथा शिक्षण कार्य भी ऑन–लाइन माध्यम से संचालित किया गया है। इस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

अत: शासन से अनुरोध है कि उक्त शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध मे शासन स्तर से विचार करते हुए आवश्यक दिशा- निर्देश प्रदान करने का कष्ट करे।

भवदीय

(आर0के0कुँवर)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।